बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

एचओ:बीआर:112: 47

05.02.2020

भारत में स्थित सभी शाखाओं/ कार्यालयों के लिए परिपत्र

मा.सं.प्र. विभाग, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा
द्वारा जारी

प्रिय महोदय / महोदया,

विषय : सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा अंशदायी चिकित्सा सहायता योजना के तहत अस्पताल में भर्ती संबंधी दावा - पूर्व-कर्मचारी पोर्टल.

बेहतर मानव संसाधन सेवाएं प्रदान करने के हमारे प्रयास को जारी रखते हुए बैंक ने शुरुआत में 'सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा अंशदायी चिकित्सा सहायता योजना' के तहत डामिसिलीयरी संबंधी दावों की सेवाओं के साथ पूर्व-कर्मचारी पोर्टल की शुरुआत की थी.

उक्त पोर्टल की उपयोगिता में विस्तार करने के लिए हम 'सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा अंशदायी चिकित्सा सहायता योजना' के तहत अस्पताल में भर्ती संबंधी दावों को प्रस्तुत करने की सुविधा के शुभारंभ की सहर्ष सूचना देते हैं.

योजना संबंधी प्रमुख विशेषताएं और एक्सेस का माध्यम नीचे दिया गया है :

पूर्व-कर्मचारी जो इस योजना के तहत सदस्य हैं, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में डामिसिलीयरी संबंधी खर्चों और निर्धारित सीमा तक अस्पताल में भर्ती होने संबंधी खर्चों के लिए पात्र हैं.

1. 'डामिसिलीयरी संबंधी दावा' के विपरीत, इस दावे को आवेदक द्वारा इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता है और पूर्व कर्मचारी को अनिवार्य रूप से अपनी शाखा (इस उद्देश्य के लिए निर्धारित) में जाना होगा और दावा प्रस्तुत करना होगा.
2. दावे की प्रोसेसिंग चार स्तरीय प्रक्रिया होगी.

   अस्पताल में भर्ती खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने के लिए सदस्यों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

I. सदस्य द्वारा दावा प्रस्तुत करना:

पूर्व की तरह निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए सदस्य दावा प्रस्तुत करेंगे :

- दावे निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाने चाहिए.
- आवेदक अपनी संबंधित पासबुक (मूल और एक फोटोकॉपी) साथ लेकर जाएं.

- आवेदकों को डिस्चार्ज सारांश और मदवार बिल सहित अस्पताल में भर्ती संबंधी सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए.

II. शाखा स्तर पर:

आवेदक (पूर्व कर्मचारी) द्वारा अस्पताल में भर्ती होने संबंधी दावा प्रस्तुत करने के बाद शाखा निम्नानुसार सुनिश्चित करें :

- सभी आवश्यक दस्तावेज (निर्धारित प्रारूप में दावा, पासबुक की फोटोकॉपी, डिस्चार्ज सारांश, मदवार बिल और अस्पताल में भर्ती होने संबंधी अन्य दस्तावेज) प्राप्त करना सुनिश्चित करें.
- यूनिट पेरोल सुपरवाइजर दावे को प्रस्तुत करने के लिए पूर्व-कर्मचारी पोर्टल के एडमिन मॉड्यूल में लॉगिन करें. पूर्व कर्मचारी पोर्टल का यूआरएल लिंक नीचे दिया गया है (केवल फिनेकल कंप्यूटर) :
  http://172.16.10.156/ContMedicalAdmin/
- यूनिट पेरोल सुपरवाइज़र अपने एचआरएनईएस पेरोल विवरण का उपयोग कर पोर्टल में लॉगिन करें. यदि अस्पताल में भर्ती संबंधी दावा दिनांक 01.01.2020 के बाद पहली बार प्रस्तुत किया जाता है, तो यूनिट पेरोल सुपरवाइज़र को पूर्व-कर्मचारी को मंजूर कुल सीमा में से 'बकाया राशि' को अद्यतन करना होगा. पोर्टल 'बकाया राशि' के एक समय के अद्यतन के लिए संकेत देगा, जिसे विधिवत अद्यतन किया जाना है.
- अस्पताल में भर्ती होने संबंधी बाद के दावों के लिए यूनिट पेरोल सुपरवाइज़र को दावे को प्रोसेस करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोर्टल और पासबुक में 'बकाया राशि' समान है.
- इसके पश्चात दावा राशि को यूनिट पेरोल सुपरवाइजर द्वारा विधिवत दर्ज किया जाना चाहिए और सिस्टम मंजूरी के उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को दावा अग्रेषित करेगा.
- यूनिट पेरोल सुपरवाइज़र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पासबुक में दावा राशि को विधिवत दर्ज किया गया है और 'बकाया राशि' से घटाया गया है.
- यूनिट पेरोल सुपरवाइज़र यह सुनिश्चित करें कि दावे और पोर्टल में उल्लिखित खाता संख्या बिना किसी प्रतिबंध के नियमित है और संचालित हो रही है.
- इस संबंध में शाखा के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) एक दिन है. दावे की हार्ड कॉपी बिना किसी चूक के पोर्टल पर दावा प्रस्तुत किए जाने वाले दिन ही क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए.
- दावे की डुप्लीकेट प्रति शाखा में रखें, जिस पर प्राप्ति की तारीख, क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने की तारीख और क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे गए दस्तावेजों की डिस्पैच ट्रैकिंग संख्या का उल्लेख करें.

III. क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर:

शाखा से अस्पताल में भर्ती होने संबंधी दावा प्राप्त होने के बाद, क्षेत्रीय कार्यालय निम्नानुसार सुनिश्चित करें:

- प्राप्त दस्तावेज पर टाइम का स्टांप.
- क्षेत्रीय पेरोल सुपरवाइज़र दावे को मंजूरी देने के लिए अपने एचआरएनईएस पेरोल विवरण का उपयोग कर पोर्टल में लॉगिन करें. पोर्टल के लिए यूआरएल ऊपर उल्लिखित है.

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. – छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा–390007. गुजरात. (भारत).
Head Office : HRM - 6th Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007, Gujarat (INDIA).
ई–मेल / E-mail : hrm.ho@bankofbaroda.com

- क्षेत्रीय पेरोल सुपरवाइज़र द्वारा 'शेष बकाया राशि' तथा प्रस्तुत दावे के साथ ही साथ पासबुक एवं जमा किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जानी चाहिए.
- दावे को क्षेत्रीय स्तर पर प्रोसेस किया जाना चाहिए तथा आवेदन की हार्डप्रति पर पात्र राशि को लिखना चाहिए. तदुपरान्त स्वीकृत राशि को क्षेत्रीय पेरोल सुपरवाइज़र द्वारा पोर्टल पर दर्ज किया जाना चाहिए और इस प्रकार केंद्रीकृत प्रोसेसिंग एवं प्रतिपूर्ति हेतु प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए.
- इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) 2 दिन है. अर्थात, शाखा से दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 2 दिनों के अंदर दावे की प्रोसेसिंग की जानी है.

IV. **प्रधान कार्यालय स्तर पर:**

जब क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अस्पताल में भर्ती संबंधी दावा स्वीकृत हो जाता है, तो प्रधान कार्यालय को निम्नानुसार प्रोसेसिंग करनी है:

- पोर्टल से स्वीकृत दावे की रिपोर्ट निकालें और प्रतिपूर्ति की प्रोसेसिंग करें.
- इस संबंध में प्रधान कार्यालय-स्टाफ कल्याण विभाग के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) 2 दिन है. अर्थात, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दावे की स्वीकृति की तारीख से 2 दिनों के अंदर दावे की प्रोसेसिंग तथा भुगतान प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए.

चूंकि इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान केंद्रीकृत रूप से प्रधान कार्यालय स्तर पर किया जाता है, **अतः शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को सख्त रूप से सूचित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर भुगतान करने से बचें.**

ऐसे सभी पूर्व-कर्मचारी, जो सदस्य हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इस सुविधा का सदुपयोग करें तथा अपने सेवानिवृत्त साथियों के संज्ञान में लाएं. पोर्टल एवं इसकी सामग्री में सुधार हेतु सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का स्वागत है. सुविधा के उद्देश्य से, योजना का विवरण इस परिपत्र में अनुबंध में दिया गया है।

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपनी शाखा / कार्यालय के सभी स्टाफ सदस्यों के संज्ञान में लाएं. पूर्व कर्मचारियों के लाभ के लिए इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराएं. इस परिपत्र की प्रति को हमारे बैंक की वेबसाइट पर एक्स –एम्पलॉय पेज में रखा गया है.

भवदीय

C. Malolan.

(सी मालोनन)

प्रमुख – (मा.सं. परिचालन)

<u>अनुबंध</u>

<u>ए. कवरेज:</u>

बैंक के ऐसे कर्मचारी जो **01 नवंबर, 2015 से पूर्व सेवानिवृत्त (बैंक ऑफ बड़ौदा से)** हुए हैं और केवल उनके/उनकी पति / पत्नी इस योजना के तहत पात्र होंगे. यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों का अंतिम कार्य दिवस 31-अक्टूबर -2015 अथवा उससे पहले था, वे इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं.

यदि पति और पत्नी दोनों बैंक के कर्मचारी हैं, तो केवल एक व्यक्ति इस योजना के तहत सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है. सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु पर, पति / पत्नी इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे.

यदि कर्मचारी / पति-पत्नी रोजगार में हैं और वह संस्थान किसी प्रकार की चिकित्सा सहायता / सहायता प्रदान करता है तो वे दावे के केवल अनसेटल भाग के लिए पात्र होंगे अर्थात ऐसे सदस्यों को पहले अपने वर्तमान नियोक्ता को अपने चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करना होगा तथा केवल शेष अनसेटल राशि पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अंशदायी चिकित्सा सहायता योजना के तहत विचार किया जाएगा.

यह योजना केवल बैंक ऑफ़ बड़ौदा से 31.10.2015 को अथवा इससे पहले अधिवर्षिता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है एवं पूर्ववर्ती विजया बैंक तथा पूर्ववर्ती देना बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं.

<u>बी) सदस्यता एवं अंशदान:</u>

कर्मचारी, सदस्यता हेतु प्रधान कार्यालय द्वारा उसके आवेदन को स्वीकार किए जाने की तारीख को लागू वर्तमान द्विपक्षीय समझौता / बीओबीओएसआर, 1979/ लागू संयुक्त नोट के अनुसार, **संबंधित मूल वेतन + अवरुद्ध वेतन वृद्धि + विशेष वेतन (यदि कोई हो) के 50%** का अंशदान कर सदस्यता के विकल्प का चयन कर सकते हैं.

योजना की सदस्यता निम्नलिखित के लिए है:

1. ऐसे कर्मचारी जो 31-10-2015 को या उससे पहले बैंक की सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए हैं;
2. जिन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा विधिवत जांच के पश्चात मेडिकल के आधार पर बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई है / समय से पूर्व सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा विशेष रूप से उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / समय से पूर्व सेवानिवृत्ति को मेडिकल बोर्ड द्वारा विधिवत जांच के पश्चात 31-10-2015 को अथवा उससे पूर्व स्वीकार किया गया है.

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. – छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा–390007. गुजरात. (भारत).
Head Office : HRM - 6th Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007, Gujarat (INDIA).
ई-मेल / E-mail : hrm.ho@bankofbaroda.com

3. जिन्होंने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के प्रावधानों की शर्तों के अनुरूप 31-10-2015 को अथवा उससे पहले बैंक की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है;
4. जिन्होंने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी ') पेंशन विनियम, 1995 के प्रावधानों की शर्तों के अनुरूप 31-10-2015 को अथवा उससे पहले बैंक की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है;
5. उन कर्मचारियों के पति / पत्नी जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान 31-10-2015 को या उससे पहले हुई हो;

सी) सदस्यता की अनुमति नहीं है:

1. ऐसे कर्मचारी, जो 1 नवंबर, 2015 को अथवा उसके पश्चात सेवानिवृत्त / स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हैं.
2. ऐसे कर्मचारी, जो जिन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया है / बर्खास्त / सेवा समाप्त कर दी गई है / अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है अथवा दंड के माध्यम से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, वे पात्र नहीं होंगे.
3. विनियमन 20 (3) (iii) लागू किए जाने की स्थिति में, सदस्यता अनुशासनात्मक / न्यायिक कार्यवाही पूरी होने के पश्चात ही उपलब्ध होगी.
4. ऐसे कर्मचारी जिन्होंने बीओबी (ई) वीआरएस 2001 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध किया है.
5. यह योजना केवल बैंक ऑफ़ बड़ौदा से 31.10.2015 को अथवा इससे पहले अधिवर्षिता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है एवं पूर्ववर्ती विजया बैंक तथा पूर्ववर्ती देना बैंक का कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं.

घ) आवश्यकताएं

शाखाओं को क्षेत्रीय कार्यालय को सदस्यता के लिए प्रस्तावित आवेदन फॉर्म भेजते समय निम्नलिखित को भी प्राप्त करना और इसे संलग्न करना सुनिश्चित करना चाहिए.

भुगतान रसीद की काउंटर प्रति जिसके माध्यम से बड़ौदा मुख्य शाखा में चालू खाता 01930200030358 में सदस्यता शुल्क का भुगतान किया गया है.

पासपोर्ट आकार के 3 फोटो ग्राफ (पति/पत्नी के साथ संयुक्त रूप से /एकल, चाहे मामला जो भी हो, आवेदक के वांछित लाभ कवरेज के अनुसार)

योजना के तहत सदस्यता केवल अंशदान /सदस्यता शुल्क की प्राप्ति और प्रधान कार्यालय में इसके स्वीकार होने पर ही प्रभावी मानी जाएगी.

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी कम से कम प्रधान कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक (मा. स. परिचालन) स्तर के कार्यपालक होंगे.

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. – छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा–390007. गुजरात. (भारत).
Head Office : HRM - 6th Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).
ई-मेल / E-mail : hrm.ho@bankofbaroda.com

ङ) बीमारियां

इस योजना के तहत सभी बीमारियों को कवर किया गया है.

बैंक इस योजना के तहत किसी भी दावे के संबंध में कोई भुगतान नहीं करेगा यदि सदस्य या उसके पति /पत्नी या उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति द्वारा इस तरह का कोई दावा धोखाधड़ी पूर्ण या धोखाधड़ीपूर्ण कथन या जाली दस्तावेजों के साथ पाया जाता है. यदि इस तरह का कोई मामला पाया जाता है और सही साबित होता है तो इस योजना के तहत सदस्यता और उपलब्ध सभी लाभ हमेशा के लिए समाप्त कर दिये जाएंगे. प्रदत्त सदस्यता राशि भी समाप्त कर दी जाएगी.

इस योजना के तहत खर्चों की प्रतिपूर्ति के रूप में सदस्य को प्राप्त किसी भी राशि पर कर दावा के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा.
इस योजना या इसके तहत बनाए गए नियमों की व्याख्या /कार्यान्वयन के कारण किसी तरह का विवाद उत्पन्न होने पर इसे प्रधान कार्यालय के प्रमुख (मा. सं. परिचालन) को संदर्भित किया जाएगा जिनका निर्णय अंतिम होगा.

च) कवर

मूल वेतन (अंतिम आहरित +विशेष वेतन यदि कोई हो) 09-11-2000 से प्रभावी	मूल वेतन (अंतिम आहरित +विशेष वेतन यदि कोई हो) 01-11-2007 से प्रभावी	मूल वेतन (अंतिम आहरित +विशेष वेतन यदि कोई हो) 01-11-2007 से प्रभावी	मूल वेतन (अंतिम आहरित अधिस्थगन ++विशेष वेतन यदि कोई हो, संशोधन के लिए भेजा गया है) 01-11-2012 से प्रभावी	प्रतिवर्ष डोमिसिलियरी खर्चें की प्रतिपूर्ति की राशि	हॉस्पिटलाइजेशन खर्च सीमा (दोनों सदस्यों यानी स्वयं और पति /पत्नी के लिए आजीवन)
रु.4000/- से कम	रु.10000/- से कम	रु.17000/- से कम	रु. 28000 /- से कम	रु. 1000/- प्रति वर्ष	रु.2.00 लाख
रु. 4000 से रु.8050	रु.10000/- से रु.17000/-	रु.17000/-से रु.27000/-	रु.28,001/- से रु. 45000/- के बीच	रु. 1500 /- प्रतिवर्ष	रु. 2.00 लाख
रु.8050/- से अधिक	17000/- से अधिक	27000/- से अधिक	रु.45000/- से अधिक	रु.2000 प्रतिवर्ष	वप्रश्रे/वकाश्रे V के लिए 2.00 लाख तक डीजीएम और उनसे ऊपर के लिए रु. 2.50 लाख तक

नोट : पूर्ववर्ती कर्मचारियों के लिए, पासबुक में उल्लिखित सीमा अपरिवर्तित रहेगी.

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. – छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा–390007. गुजरात. (भारत).
Head Office : HRM - 6th Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007, Gujarat (INDIA).
ई-मेल / E-mail : hrm.ho@bankofbaroda.com

च) इस योजना के तहत लाभ :

क. डोमिसिलियरी दावा :

1. इस योजना के सदस्य घोषणा के आधार पर वर्ष में चिकित्सीय खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे.
2. प्रतिपूर्ति कैलेंडर वर्ष के आधार पर की जाएगी और उपयोग में नहीं लायी गयी राशि /गैर आहरित राशि को अगले वर्ष में जोड़े जाने की सुविधा नहीं होगी. स्पष्टीकरण के लिए यदि वर्ष 2017 की राशि के लिए दावा कैलेंडर वर्ष में नहीं किया जाता तो यह समाप्त हो जाएगा.
3. प्रधान कार्यालय द्वारा जारी मेडिकल पासबुक में वार्षिक सीमा उल्लिखित है.
4. सीमा का निर्धारण कैलेंडर वर्ष के अनुसार है.
5. प्रतिपूर्ति सदस्य द्वारा दिये गए अनुरोध पर आधारित होगी और इसके लिए कोई बिल नहीं प्रस्तुत करना होगा.

ख. हॉस्पिटलाईजेशन खर्चे –प्रतिपूर्ति :

1. इस योजना के सदस्य मूल बिल को प्रस्तुत कर हॉस्पिटलाईजेशन खर्चे की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हैं.
2. सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य और /या उनके पति/पत्नी को हॉस्पिटलाईजेशन खर्चे की प्रतिपूर्ति मूल बिल की प्रस्तुति और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इसके सत्यापन के बाद की जाएगी
3. **संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय हॉस्पिटलाईजेशन के बाद खर्चे की प्रतिपूर्ति की जांच करेंगे और समग्र सीमा में इसके प्रतिपूर्ति की अनुमति देंगे.**
4. हॉस्पिटलाईजेशन से पहले और उसके बाद के कुल एक माह तक के उपचार खर्चे की प्रतिपूर्ति इस योजना के तहत समग्र सीमा के भीतर की जाएगी.
5. इस योजना के तहत बीपीएस /बीओबीओएसआर के अनुसार डीम्ड हॉस्पिटलाईजेशन के तहत शामिल बीमारियों से संबंधित मेडिकल खर्चों की प्रतिपूर्ति भी हॉस्पिटलाईजेशन के लिए समग्र सीमा के अंदर की जाएगी. बीमारी की सूची के लिए मौजूदा समझौता बीओबी (ओ) एसआर, 1979/ संयुक्त नोट का संदर्भ लें.
6. सदस्य प्रस्तावित सीमा के तहत हॉस्पिटलाईजेशन खर्चों की आजीवन प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हैं.
7. इस योजना के तहत हॉस्पिटलाईजेशन के दौरान किसी भी तरह के खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी.
8. सदस्य या पति/पत्नी को इस योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लिए उपचार हेतु भर्ती होना आवश्यक है.
9. सदस्य को मूल बिल प्रस्तुत करना आवश्यक है.

इस योजना के तहत विभिन्न जाँचों /उपचारों के लिए खर्च की कोई वैयक्तिक सीमा नहीं है. इसमें एक ही सीमा है जो की समग्र सीमा है और आजीवन के लिए है.

*****

HO: BR: 112:47 **05.02.2020**

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIA

Issued by
HRM Department, HO, Baroda

Madam / Dear Sir,

Re: Hospitalization Claim under BOB Contributory Medical Assistance Scheme for Retired Employees- Ex-employee portal.

In continuation of our endeavor to provide better HR Services, Bank had introduced Ex-Employee Portal. At present, the members can claim the reimbursement of Domiciliary Claims under 'BOB Contributory Medical Assistance Scheme for retired employees'.

To enhance the horizon of utility of the said portal, we are pleased to inform the introduction of reimbursement of Hospitalization Claims under 'BOB Contributory Medical Assistance Scheme for retired employees'.

The salient features of the scheme and the mode of access are given below:

Ex-employee who are members under the scheme are eligible for domiciliary expenses every calendar year and hospitalization expenses up to the limits prescribed.

1. Unlike, 'Domiciliary Claim', this claim cannot be accessed via internet by the applicant and the Ex-Employee necessarily has to go to his/her Branch (identified for this purpose) and submit their claim.

2. The processing of the claim would be a four tier process.

   To apply for reimbursement of Hospitalization expenses, the members have to follow the following process:

I. Claim submission by the member:

The members shall submit the claim to their respective branches, bearing the following in mind:

- The claims are to be submitted in the prescribed format.
- Applicants should carry their respective Passbook (Original and a photocopy)
- Applicants should submit all the hospitalization documents, including the discharge summary and itemized bills, in original.

II. At Branch level:

Once the hospitalization claim is submitted by the applicant (Ex-Employee), the Branch has to:

- Ensure all the necessary documents (claim in prescribed format, photocopy of the passbook, discharge summary, itemized bills and other hospitalization documents) are collected.
- The Unit Payroll Supervisor has to login into the admin module of the Ex-Employee Portal to lodge the claim. The URL link for the ex-employee portal is given below (Finacle PC only):

http://172.16.10.156/ContMedicalAdmin/

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. – छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा–390007. गुजरात. (भारत).
Head Office : HRM - 6th Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007, Gujarat (INDIA).
ई–मेल / E-mail : hrm.ho@bankofbaroda.com

- The Unit Payroll Supervisor has to login in to the portal using his HRnes Payroll credentials. If the hospitalization claim is submitted for the first time after **01.01.2020**, then the Unit Payroll Supervisor has to necessarily update the 'Outstanding Amount' out the total limit sanctioned to the Ex-Employee. The portal shall prompt for a one time updation of the 'Outstanding Amount', which has to be duly updated.
- For the subsequent hospitalization claims, the Unit Payroll Supervisor has to ensure that the 'Outstanding Amount' on the portal and the passbook are same, before processing the claim.
- There after the claim amount has to be duly entered by the Unit Payroll Supervisor and system will forward the claim to the Regional Office for sanctioning purpose.
- Unit Payroll Supervisor has to ensure the claim amount is duly entered in the passbook and subtracted out of the 'Outstanding Amount'.
- The Unit Payroll Supervisor has to ensure that the account number mentioned in the claim and the portal are regular and being operated without restrictions.
- The turnaround time (TAT) for the Branch in this regard is one day. The hard copy of the claim has to be forwarded to the Regional Office on the same day of submission of the claim on the portal without fail.
- The duplicate copy of the claim has to be retained at the Branch duly mentioning on it the date of receipt, date of submission to Regional Office and the dispatch tracking number of the documents sent to Regional Office.

III. At Regional Office level:

Once the hospitalization claim is received from the Branch, the Regional Office has to:

- Time stamp the document received.
- The Regional Payroll Supervisor has to login in the portal using his/her HRnes Payroll credentials to sanction the claim. The URL for the portal is mentioned above.
- The Regional Payroll Supervisor has to ensure the correctness of the 'Outstanding Amount Balance' and the claim submitted vis-à-vis passbook and the documents submitted.
- The claim should be processed at Regional Level and the eligible amount be sanctioned on hardcopy of the application. Thereafter the sanctioned amount should be entered by Regional Payroll Supervisor on the portal and the same shall be automatically received by Head Office for centralized processing and reimbursement.
- The turnaround time (TAT) for ROs in this regard is 2 days. That is, the claims are to be processed within 2 days from the date of receipt of documents from the Branch.

IV. At Head Office level:

Once the hospitalization claim is sanctioned by the Regional Office, Head Office has to:

- Extract the report of sanctioned claims from the portal and process the reimbursement.

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. – छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा–390007. गुजरात. (भारत).
Head Office : HRM - 6th Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).
ई-मेल / E-mail : hrm.ho@bankofbaroda.com

- The turnaround time (TAT) for the HO-Staff Welfare Department in this regard is 2 days. That is, the claims are to be processed and payment has to be initiated within 2 days from the date of sanction of the claim by the RO.

Since reimbursement of Hospitalization Expenses under the scheme are centrally paid by Head Office, **the Branches and Regional Offices are strictly advised to refrain from making payments at their end.**

All the ex-employees, who are members of the BOB Contributory Medical Assistance Scheme, are requested to make good use of this facility and popularize it amongst their retirees' circles. Constructive feedbacks for improvising the portal and its contents are welcome. For the purpose of convenience, the scheme details are provided in the Annexure to this circular.

Kindly bring the contents of this Circular to the notice of all staff in your Branch / Office. A copy be displayed on the notice board for the benefit of the ex-employees. A copy of this circular is also being placed in the Ex-Employees' page of the Bank's website.

Yours faithfully,

C. Malolan.

(C. MALOLAN)
HEAD (HR OPERATIONS)

ANNEXURE

A. COVERAGE:

Employees of the Bank who have **retired (from Bank of Baroda) prior to 01-Nov-2015** and his/her spouse only will be eligible under the scheme. It is specifically clarified that those employees whose last working day was 31-Oct-2015 or earlier are covered under the scheme.

If both husband and wife are employees of the bank only one can apply for membership under the scheme. On the death of the retired employee, the spouse will continue to be covered under the scheme.

If the employee / spouse are in employment and that establishment extends / provides any medical aid/assistance then they will be eligible only for the unsettled portion of the claim i.e. such members have to first apply for reimbursement of their medical expenses to their current employer and the remaining unsettled amount only will be considered under the Contributory Medical Assistance Scheme for Retired Employees.

The scheme is available only for employees superannuated from Bank of Baroda on or before 31.10.2015 and retired employee of eVB and eDB are not covered under the scheme.

B. MEMBERSHIP & CONTRIBUTION:

The employees can opt to become members after contributing **50% of the corresponding Basic pay + stagnation increment + special pay (if any)** as per the current bipartite settlement/BOBOSR, 1979/Joint Note in force on the date of acceptance of his / her application for membership by Head Office.

The membership of the scheme is open for the following:

1. Those who have retired from the Bank's service on superannuation on or before 31-10-2015;
2. Those who have been allowed to retire/ Prematurely Retiring from the Bank's service on medical ground after due examination of Medical Board and specifically their Voluntary Retirement/Premature Retirement is accepted on Medical Grounds after due examination by Medical Board on or before 31-10-2015;
3. Those who have taken voluntary retirement from the Bank's service in terms of the provisions of Bank of Baroda (Officers') Service Regulations, 1979 on or before 31-10-2015;
4. Those who have taken voluntary retirement from the Bank's service in terms of the provisions of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 on or before 31-10-2015;
5. Spouses of those employees who died in harness on or before 31-10-2015;

C. MEMBERSHIP NOT ALLOWED:

1. Employees who retire/Voluntary Retire on or after 1st November 2015.
2. Employees who have been discharged / dismissed / removed from service/ compulsorily retired or their services have been terminated by way of punishment will not be eligible.

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. – छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा–390007. गुजरात. (भारत).
Head Office : HRM - 6th Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).
ई-मेल / E-mail : hrm.ho@bankofbaroda.com

3. When Regulation 20(3)(iii) is invoked, the membership will be available only after completion of disciplinary/judicial proceedings.
4. Employees who have sought Voluntary Retirement under BOB(E)VRS 2001.
5. The scheme is available only for employees superannuated from Bank of Baroda on or before 31.10.2015 and any retired employee of eVB and eDB are not covered under the scheme.

D. REQUIREMENTS

While forwarding the prescribed application form for membership, to Regional Office, branches should ensure to obtain and attach the following also.
Counter foil of the pay-n-slip by which membership fee is deposited in the above stated current account no. 01930200030358 at Baroda Main branch.
-3- Passport size photographs. (Joint with spouse/Single as the case may be as per desired coverage of benefits by the applicant)
Membership of the scheme would take effect only on receipt of the contribution/ membership fees and its acceptance at Head Office.
The Competent Authority for implementation of this scheme shall be an executive not below the Rank of AGM at Head Office (HR Operations)

E. AILMENTS:

All ailments are covered under this scheme.

The Bank shall not be liable to make any payment under this scheme in respect of any claim, if such a claim is found to be fraudulent or supported by any fraudulent statement or document, whether by the member or by his/her spouse or any other person on his /her behalf. Such an act if found out and proved to be correct, would result in termination of membership and the consequent benefits available under the scheme forever. Membership fees paid would also be forfeited.

The Bank would not be responsible for any tax liability that may devolve on a member on account of reimbursement of medical expenses under the scheme.

Any dispute arising on account of interpretation/ implementation of the scheme or rules framed there under would be referred to the Head (HR OPS) at Head Office whose decision would be final.

F. COVERAGE:

Basic Pay (last drawn + special pay if any) effective from 09-11-2000	Basic Pay (last drawn + special pay if any) effective from prior to 01-11-2007	Basic Pay (last drawn + special pay if any) effective from 01-11-2007	Basic Pay (last drawn) Stagnation++ special pay, if any (Sent for revision). Effective from 01.11.2012	Amount of reimbursement of Domiciliary expenses per year	Hospitalisation expenses limit (for life time for both the members ie. Self and his/her spouse.
Below Rs. 4000/-	Below Rs. 10000/-	Below Rs. 17000/-	Below Rs. 28,000/-	Rs. 1000/- per year	2.00 Lakhs
Rs. 4000/- to Rs. 8050/-	Rs. 10000/- to Rs. 17000/-	Rs.17000/- to Rs. 27000/-	Between Rs. 28,001/- to Rs.45,000/-	Rs. 1500/- per year	2.00 Lakhs
Above Rs. 8050/-	Above Rs. 17000/-	Above Rs. 27000/-	Above Rs. 45,000/-	Rs. 2000/- per year	2.00 Lakhs upto SMG/S V 2.50 Lakhs DGM & above

NOTE: For previous employees, the limit mentioned in the Passbook shall remain unchanged.

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. – छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा–390007. गुजरात. (भारत).
Head Office : HRM - 6th Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007, Gujarat (INDIA).
ई-मेल / E-mail : hrm.ho@bankofbaroda.com

G. BENEFITS UNDER THE SCHEME:

a. Domiciliary Claim :

1. The members of the scheme are eligible for reimbursement of medical expenses in a year on declaration basis.
2. **The reimbursement will be on calendar year basis and no carry forward facility will be allowed** for the amount which remains unutilized / un-drawn. To clarify, if the amount is not claimed for the year 2017 during the Calender year, it shall lapse.
3. The annual Limit is mentioned in the Medical Passbook issued by Head Office.
4. The Limit is fixed per CALENDAR YEAR.
5. Reimbursement shall be based on submission of request by the member and no bills are required to be submitted.

b. Hospitalization Expenses - Reimbursement:

1. The members of the scheme are eligible for reimbursement of Hospitalization expenses on submission of original bill.
2. Hospitalization expenses will be reimbursed to the retired employee and/ or his/her spouse on production of bills / receipts and its verification, by the Respective Regional Office.
3. **The Respective Regional Office will examine and decide about allowing reimbursement of post hospitalization expenses within the overall limits.**
4. Reimbursement of medical expenses of pre and post hospitalization treatment for one month within overall limit for hospitalization shall be made under the scheme.
5. Reimbursement of medical expenses in respect of diseases covered under the deemed hospitalization as per BPS/BOBOSR within the overall limit for hospitalization shall be made under the scheme. Refer to current Settlement/BOB(O)SR,1979/Joint note for the list of diseases.
6. Members are eligible for reimbursement of Hospitalization expenses as per the limit prescribed for life time.
7. Any expenses incurred during the hospitalization is reimbursable under the scheme.
8. The member or spouse is required to be hospitalized for treatment to avail the reimbursement under the hospitalization.
9. The member is required to submit bills in original.

There is NO individual Limits for expenses for various tests / treatments under this scheme. The only limit is that of the Overall limit which is prescribed for the lifetime.

*****

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. – छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा–390007. गुजरात. (भारत).
Head Office : HRM - 6th Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).
ई-मेल/E-mail : hrm.ho@bankofbaroda.com